संख्या-108/2017/2051/22-2-2016-17(370)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 14 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी ग्राम-चतिया फैजू, थाना-फतेहगंज पूर्वी, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 26.10.1995 को 08 वर्षीय लडकी रिंकी की बलात्कार करके गला घोट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,376 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 31-08-1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 24-04-2007 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 29.06.2016 तक 20 वर्ष 08 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को सामाजिक हित में भागे जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 26-10-1995 को आठ वर्षीय लडकी रिंकी की बलात्कार करके गला घोट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 39 वर्ष 05 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-22267(एम0/बी0)/2016 उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उर्मेश(बन्दी संख्या-34509) पुत्र श्री शिवराज, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-108/2017/2051(1)/22-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-108/2017/2051@22-2-2016-17(370)/2016

दिनांक 14 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी उर्मेश (बन्दी संख्या-34509) पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी ग्राम-चतिया फैजू, थाना-फतेहगंज पूर्वी, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 26.10.1995 को 08 वर्षीय लडकी रिंकी की बलात्कार करके गला घोट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-48/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,376 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 31-08-1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 24-04-2007 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 29.06.2016 तक 20 वर्ष 08 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को सामाजिक हित में भागे जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 26-10-1995 को आठ वर्षीय लडकी रिंकी की बलात्कार करके गला घोट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 39 वर्ष 05 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नही हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उर्मेश पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in